



सप्तदश
बिहार विधान सभा
की
निवेदन समिति
का
11वाँ प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित
निवेदन संख्या 366/21 एवं 1521/22 पर प्रतिवेदन।

(दिनांक 11 जुलाई, 2023 को सदन में उपस्थापित)

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन-I	1
परिशिष्ट	2-4
5. प्रतिवेदन-II	5
परिशिष्ट-4	6-8

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तादश बिहार विधान सभा के वित्तीय कार्य 2023-24 के लिए गठित निवेदन
समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन | स०वि०स० |
|-----------------------------|---------|

सदस्यगण

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | स०वि०स० |
| 2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | स०वि०स० |
| 3. श्री राहुल तिवारी | स०वि०स० |
| 4. श्री बच्चा पाण्डेय | स०वि०स० |
| 5. श्री रामविलास कामत | स०वि०स० |
| 6. श्री (ई०) शशि भूषण सिंह | स०वि०स० |
| 7. श्री हरिशंकर यादव | स०वि०स० |
| 8. श्री कुंदन कुमार | स०वि०स० |
| 9. श्री श्रीकान्त यादव | स०वि०स० |
| 10. श्री कुमार शैलेन्द्र | स०वि०स० |
| 11. श्री विजय कुमार | स०वि०स० |
| 12. श्री राजेश कुमार सिंह | स०वि०स० |
| 13. श्री मुकेश कुमार रौशन | स०वि०स० |
| 14. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता | स०वि०स० |

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय
सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री पवन कुमार सिन्हा	प्रभारी निदेशक
3. श्री मो० शमीम अहमद	अवर-सचिव
4. श्री छोटे पासवान	प्रभारी अवर-सचिव
5. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
6. श्री प्रवीण कुमार	सहायक
7. श्री रतन कुमार रतन	कनीय लिपिक

प्रावकथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित निवेदनों पर निवेदन समिति का 11वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार-विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ।

(ह0) अस्पष्ट,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन-I

श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 366/21

दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मत्स्य पालन का ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहने के कारण इससे जुड़े लोगों को काफी असुविधा होती है।

अतः उक्त कार्य करने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-1)

श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3111, दिनांक 7 जलाई, 2021 (परिशिष्ट-2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के झापांक 2261, दिनांक 17 अगस्त, 2021 (परिशिष्ट-3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। दरभंगा जिला में हायाघाट से लगभग 15 (पन्द्रह) किलो मीटर दूर बहादुरपुर अंचल में RKVY योजना के तहत मत्स्य प्रशिक्षण-सह-जागरूकता केन्द्र का निर्माण किया गया है, जो दिनांक 28 जुलाई, 2020 से ही विभाग को हस्तांतरित है।

समिति का निर्णय

दिनांक 5 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय पत्रांक 2261, दिनांक 17 अगस्त, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 366/2021 को कार्यान्वित माना गया।

परिशिष्ट-1

श्री रामचन्द्र प्रसाद, सोवि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 366/2021

दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मत्स्य पालन का ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहने के कारण इससे जुड़े लोगों को काफी असुविधा होती है।

अतः उक्त कार्य करने हेतु सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट-2

सं० 2 नि०-366/2021-3111/वि० सं०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 7 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 366/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 292 (घ) के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र प्रसाद, सं० वि० सं० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट-3

श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत एवं समा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 की पारित निवेदन संख्या 366/2021 का उत्तर।

निवेदन की विषय वस्तु

दरभंगा जिला के हायाघाट विधान समा क्षेत्र अन्तर्गत मत्स्य पालन का ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहने के कारण इससे जुड़े लोगों को काफी असुविधा होती है।

अतः उक्त कार्य करने हेतु सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ।

उत्तर प्रतिवेदन

आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि हायाघाट विधान समा क्षेत्र अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। दरभंगा जिले में हायाघाट से लगभग 15 (पंद्रह) किलो मीटर दूर बहादुरपुर अंचल में RKVY योजना के तहत मत्स्य प्रशिक्षण-सह-जागरूकता केन्द्र का निर्माण किया गया है, जो दिनांक 28 जुलाई, 2020 से ही विभाग को हस्तांतरित है।

प्रतिवेदन-II

श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 1521/22

मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखंड के पोखरों में अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर मछलियाँ विगत एक महीने से मर रही हैं। जहाँ पानी पूरी तरह साफ है, वहाँ की मछलियों में भी यह बीमारी देखी जा रही है। पीड़ित सभी मछलियों में एक प्रकार का घाव देखा जा रहा है। दोनों प्रखंडों के मत्स्यजीवी सहयोग समिति में बेचैनी है कि उनके जीवन-यापन की मुख्य साधन मछलियों बीमारी से ग्रस्त हो रही हैं। इसपर शोध की आवश्यकता है कि जो बीमारी से बची हुई मछलियाँ हैं कहीं उनके अंदर भी यह बीमारी प्रविष्ट हो और उसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़े तो एक नई महामारी उत्तर बिहार में प्रारंभ हो जायेगी। स्थानीय स्तर पर इस संबंध में अनुरोध के बावजूद कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अतः पंडौल एवं रहिका प्रखंड के तालाबों की मछलियों पर रिसर्च कराकर इन्हें बीमारी मुक्त करने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-4)

श्री समीर महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2907, दिनांक 17 जून, 2022 (परिशिष्ट-5) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 4090, दिनांक 5 दिसम्बर, 2022 (परिशिष्ट-6) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखंड स्थित पोखरों के मछलियों में उत्पन्न बीमारियों का मूल कारण गंदे जलस्रोतों से पानी तालाबों में आ जाने के कारण बीमारी की समस्या देखी गई, जिसके उपरान्त किसानों की तालाब में घूना, पोटैशियम, परमैंगनेट एवं यूका नामक दवाई उचित मात्रा में देने का परामर्श दिया गया।

वर्तमान में मछलियों के बीमारी में सुधार हुआ है एवं पिछले कुछ दिनों से मधुबनी जिलान्तर्गत किसी तालाब के मछली में इस प्रकार की समस्या की सूचनां अप्राप्त है।

समिति का निर्णय

दिनांक 5 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 4090, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 के आलोक में निवेदन संख्या 1521/2022 को कार्यान्वित माना गया।

परिशिष्ट-4

श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 1521/22

मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखंड के पोखरों में अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर मछलियाँ विगत एक महीने से मर रही हैं। जहाँ पानी पूरी तरह साफ है, वहाँ की मछलियाँ में भी यह बीमारी लग गई है। पीड़ित सभी मछलियों में एक प्रकार का घाव देखा जा रहा है। दोनों प्रखंडों के मत्स्यजीवी सहयोग समिति में बैथैनी है कि उनके जीवनयापन की मुख्य साधन मछलियाँ बीमारी से ग्रस्त हो रही है। इसपर शोध की आवश्यकता है कि जो बीमारी से बची हुई मछलियाँ है कहीं उनके अंदर भी यह बीमारी प्रविष्ट हो और उसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़े तो एक नई महामारी उत्तर बिहार में प्रारंभ हो जायेगी। स्थानीय स्तर पर इस संबंध में अनुरोध के बावजूद कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अतः पंडौल एवं रहिका प्रखंड के तालाबों की मछलियों पर रिसर्च कराकर इन्हें बीमारी मुक्त करने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट-5

सं० 2 नि०-1521/2022-2907/वि० सं०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

मो० शमीम अहमद,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 17 जून, 2022 (ई०)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 1521/2022 का उत्तर भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 292(घ) के अन्तर्गत श्री समीर कुमार महासेठ, सं० वि० सं० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2022 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विद्यारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
मो० शमीम अहमद,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

श्री सगीर कुमार महासेठ, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 1521/2022 का उत्तर सामग्री।

निवेदन की विषयवस्तु

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखंड के पोखरों में अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर मछलियाँ विगत एक महीने से मर रही हैं। जहाँ पानी पूरी तरह साफ है वहाँ की मछलियों में भी यह बीमारी देखी जा रही है। पीड़ित सभी मछलियों में एक प्रकार का घाव देखा जा रहा है। दोनों प्रखंडों के मत्स्यजीवी सहयोग समिति में बेचैनी है कि उनके जीवनयापन की मुख्य साधन मछलियाँ बीमारी से ग्रस्त हो रही हैं। इसपर शोध की आवश्यकता है कि जो बीमारी से बची हुई मछलियाँ हैं कहीं उनके अंदर भी यह बीमारी प्रविष्ट हो और उसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़े तो एक नई महामारी उत्तर बिहार में प्रारंभ हो जायेगी। स्थानीय स्तर पर इस संबंध में अनुरोध के बावजूद कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अतः पंडौल एवं रहिका प्रखण्ड के तालाबों की मछलियों पर रिसर्च करा कर इन्हें बीमारी मुक्त करने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूँ।

उत्तर प्रतिवेदन

मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखण्ड स्थित पोखरों के मछलियों में उत्पन्न बीमारियों का मूल कारण गंदे जलस्रोतों से पानी तालाबों में आ जाने के कारण बीमारी की समस्या देखी गई, जिसके उपरान्त किसानों को तालाब में घूना, पोटैशियम परमैंगनेट एवं यूका नामक दवाई उचित मात्रा में देने का परामर्श दिया गया।

वर्तमान में मछलियों के बीमारी में सुधार हुआ है एवं पिछले कुछ दिनों से मधुबनी जिलान्तर्गत किसी तालाब के मछली में इस प्रकार की समस्या की सूचना अप्राप्त है।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023